11/5/17 पत्रावली आज दिनांक को कैम्प कोर्ट। स्थान आपके दुवार में प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी सं ② ① ③ उपस्थित। प्रार्थना पत्र में आराजी नं. 11/2 एवं 31/3 की पत्थर गढ़ी चाही गई है। संलग्न जमाबंदी अनुसार 11/2 आराजी नं. पर प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है। 11/2 आराजी नं. प्रार्थी के खाते में दर्ज नहीं है। अतः पत्थर गढ़ी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर केवल प्रार्थी के खाते की आराजी नं. 31/3 की पत्थर गढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय पृथक से लिखा जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नि. गोपी प्रति ②

प्रति ①

प्रति ②

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा, कैम्प कोर्ट — रामपुरिया
पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

...न संख्या :– 134 / 2016

1. नारायण पिता रामा कुम्हार, निवासी रघुनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. कैलाश पिता रामा कुम्हार, निवासी रघुनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. प्रेम पुत्री रामा कुम्हार, निवासी रघुनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. लीला पुत्री रामा कुम्हार, निवासी रघुनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. सीता पुत्री रामा कुम्हार, निवासी रघुनाथपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभुलाल पिता उदयराम बलाई, निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. गोपी पिता लेहरू बलाई, निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. सन्तोक सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत, निवासी ओझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. जयराम पिता हजारी गुर्जर, निवासी औझागर तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 11.05.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 22.04.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ओझागर पटवार क्षेत्र रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 11/2, 31/3 कुल किता 02 कुल रकबा 01–10 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र के साथ ग्राम औझागर की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 में प्रार्थीगण के खाते में आराजी नम्बर 11/2 दर्ज नहीं है आराजी नम्बर 31/3 दर्ज है। अतः आराजी नम्बर 11/2 के पत्थरगढी के आदेश नहीं दिये जा सकते है। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वंय के खाते की आराजी नम्बर 31/3 कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसंर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम ओझागर पटवार क्षेत्र रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 31/3 कुल किता 01 कुल रकबा 01–07 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 200/– अक्षरे दो सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 11.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)